बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक- 10 नि0 (प्रशि0) 05/2018 (खण्ड)................................. **दिनांक-** **2025**

<u>वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या 6 एस0 एस0 (6) 23/2017-2419 दिनांक 02.06.2025 के आलोक में ''बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना'' के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश।</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0 एस0 (6) 23/2017-2419 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा कुल रूपया 310.00 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश निम्नवत है।

(1) <u>उद्देश्य</u> –

(i) राज्य के युवक/युवतियों को पशुपालन से सम्बन्धित विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर उनके लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन किया जाना।

(ii) राज्य के युवक/युवतियों को पशुपालन से सम्बन्धित विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर उनके तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता एवं क्षमता का विकास करना।

(2) <u>योजना के मुख्य बिन्दु</u> :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवक एवं युवतियों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय) के तहत पशुपालन प्रक्षेत्र की विभिन्न विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर उनके तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता एवं क्षमता का विकास करना है। सभी प्रशिक्षण कार्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित Operational Guidelines तथा प्रक्रियात्मक एवं दर मानक Process & Cost norms) के आधार पर पशुपालन से सम्बन्धित निम्नांकित विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया जाएगा।

(i) Livestock service provider
(ii) Poultry Farming
(iii) Poultry Farm Worker
(iv) Goat/Sheep Farming
(v) Goat/Sheep Farm Worker
(vi) Pig Farming

उपरोक्त सभी विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/बिहार कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण एजेन्सियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया जायेगा। सूचीबद्ध (Empanelled) एजेन्सियों द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुपालन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभाग/बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित माप–दण्ड के अनुरूप कराया जायेगा।

प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन पशुपालन निदेशालय/ बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश (Operational Guidelines) के अनुरूप किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों के चयन करने के उपरान्त चयनित संस्थाओं के माध्यम से बैचवार प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा सफल प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी के नियोजन/स्वरोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व भी संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का होगा। विभाग के अर्न्तगत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को विभागीय योजनाओं के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर उन्हें राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षण मद की राशि से परिवहन हेतु व्यय होने वाली राशि का व्यय किया जायेगा।

(3) विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित विधाओं/कार्यक्रमों में विभागीय प्रशिक्षण आपके सूचीबद्ध (Empanelled) एजेन्सियों द्वारा दिया जाना है :–

1. Poultry Farming
2. Goat/Sheep Farming
3. Pig Farming

उपरोक्त सभी प्रशिक्षण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय) के द्वारा तैयार किये गये मॉड्यूल के आधार पर दिया जाना है। विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा निम्नवत होगी :–

1. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी की सूची जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी विभागीय योजनाओं के लाभार्थी/इच्छुक युवक एवं युवतियों होगें।
2. चयनित प्रशिक्षणार्थियों को बैचवार प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण शुल्क, खाने (सुबह का नाशता/चाय,दोपहर एवं रात का खाना तथा दो बार चाय/स्नैक्स), ठहरने, पाठ्य सामग्री शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण इत्यादि तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने इत्यादि एवं अन्य व्यय हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार चयनित एजेन्सी को भुगतान की जायेगी।
3. बैचवार प्रशिक्षणोपरान्त अभिश्रव के साथ सभी संबंधित कागजात समर्पित करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर एजेन्सी को Bihar Livestock Development Board (BLDA), बिहार, पटना द्वारा संबंधित कौशल विकास मिशन योजना में वित्तीय वर्ष 2025–2026 एवं समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2025–2026 तक के प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी। कार्य प्रदर्शन एवं राशि के उपलब्धता के आधार पर बैच की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है।
4. प्रशिक्षण संस्थानों को उक्त आवासीय प्रशिक्षण कराये जाने हेतु रूपये 1100/–(ग्यारह सौ) प्रति प्रशिक्षणार्थी/ प्रतिदिन एवं परिवहन व्यय अधिकतम रूपये 600/–(छह सौ) प्रति प्रशिक्षणार्थी निर्धारित है। सभी कर/शुल्क प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किए जायेगें। निर्धारित दर पूरी अनुबंध अवधि के लिए लागू है।
5. मास्टर ट्रेनर पशु विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक(बी0भी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) होने चाहिए जिसकी व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में मास्टर ट्रेनर के रूप में संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी के अनुमति से पशु चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा ली जा सकती है।

6. प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी या नामित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अपने कार्यालय में प्रशिक्षण से अभिलेख संधारित करेंगे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बैचवार साप्ताहिक निरीक्षण प्रतिवेदन (जिसमें प्रशिक्षणार्थी की संख्या, प्रशिक्षकों की सूची उपलब्धता सुविधा आदि के बारे में) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अपने कार्यालय में प्रशिक्षण से अभिलेख संधारित करेंगे।

उपर्युक्त के आलोक में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क कर तिथि का निर्धारण एवं किसानों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाय।

(4) <u>बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण</u>

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित विधाओं/कार्यक्रमों में बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण सूचीबद्ध (Empanelled) एजेन्सियों द्वारा दिया जाना है :–

1. Livestock service provider
2. Poultry Farm Worker
3. Goat/Sheep Farm Worker

उपरोक्त सभी Job Role में प्रशिक्षणार्थियों का चयन/प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित परिचालन दिशा निर्देश (Operational Guidelines) के अनुसार डोमेन विशिष्ट कौशल (Domain specific skilling) प्रशिक्षण के तहत राज्य के योग्य युवक/युवतियों को पशुपालन से संबंधित विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स के साथ पूर्व सीखने की मान्यता (Recognition with prior Learning with bridge course) के तहत पशुपालन से सम्बद्ध क्षेत्रों मे पूर्व से कार्य कर रहे अनुभवी कर्मियों को 60 घंटे का प्रशिक्षण एवं मुल्यांकन के पश्चात् प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(i) बिहार कौशल विकास मिशन के तहत चयनित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं का पंजीकरण बिहार कौशल विकास मिशन के Online Portal पर किया जाएगा।

(ii) सफल प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन/स्वरोजगार का दायित्व पूर्ण रूप से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान का होगा।

(iii) बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय–समय पर निर्गत दर मानक Process and cost norm के आधार पर प्रशिक्षण संस्थाओं को राशि का भुगतान निदेशक, पशुपालन द्वारा किया जाएगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन संपूर्ण बिहार राज्य में किया जाएगा।

(v) योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना का प्रचार प्रसार कराया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित लक्ष्य के तहत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को चयनित विषयों में बिहार कौशल विकास मिशन के ऑन लाइन पोर्टल पर लक्ष्य दिया जाना है, साथ ही पत्र के माध्यम से कौशल विकास केन्द्र को विषयवार/कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। डोमेन विशिष्ट कौशल (Domain specific skilling) एवं ब्रिज

कोर्स के साथ पूर्व सीखने की मान्यता (Recognition of Prior Learning with Bridge course) अन्तर्गत पशुपालन से सम्बद्ध विधाओं में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्धारित मापदंडों के आलोक में किया जाएगा।

(i) इच्छुक युवक/युवतियों द्वारा आवेदन पत्र प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों तथा फोटो के साथ भरकर प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सभी आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों की मूल प्रमाण पत्र से मिलान कर बिहार कौशल विकास मिशन के ऑन लाइन पोर्टल पर बैच निर्माण हेतु अपलोड किया जाएगा।

(iii) कार्यक्षेत्र विशिष्ट कौशल (Domain specific skilling) के तहत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप राशि वापसी योग्य सुरक्षा जमा (refundable security deposit) के रूप में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा ली जाएगी।

(iv) अपलोडेड आवेदन पत्रों तथा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच पशुपालन निदेशालय के संबंधी प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा विषय से संबंधित बैच निर्माण हेतु निदेशक, पशुपालन के अनुमोदनोपरान्त कौशल विकास मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृति दी जाएगी।

(v) कार्यक्षेत्र विशिष्ट कौशल (Domain Skilling) हेतु कौशल विकास केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रीक (Biometric)/Iris पद्धति से की जाएगी तथा बिहार कौशल विकास मिशन के परिचालन दिशानिर्देश (Operational guideline) के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षार्थियों के उपस्थिति की समय–समय पर जाँच की जा सकेगी।

(vi) कौशल विकास केन्द्रों का निरिक्षण राज्य स्तरीय पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

(vii) प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का मुल्यांकन भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation) के तहत सेक्टर स्कील कॉन्सिल (Sector Skill Council) एग्रीकल्चर स्कील कॉन्सिल ऑफ इंडिया (Agriculture Skill Council of India) द्वारा कराया जाएगा तथा मूल्यांकन के पश्चात् उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाण पत्र सेक्टर स्कील कॉन्सिल (SSC) द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(viii) कार्यक्षेत्र विशिष्ट कौशल (Domain skilling) के तहत प्रशिक्षित युवक/युवतियों को व्यवहारिक स्थिति के प्रशिक्षण (Practical training in field condition) काम के साथ प्रशिक्षण (On job training) हेतु संबंधित जिला अन्तर्गत पशुचिकित्सालय/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में एक माह की अवधि हेतु व्यवहारिक क्षेत्र प्रशिक्षण (Field Training) दिया जाएगा।

(ix) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणर्थियों को व्यवहारिक क्षेत्र प्रशिक्षण (Field Training) हेतु जिला अन्तर्गत पशु चिकित्सालय/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में कार्यरत पशुधन सहायक के साथ एक माह की अवधि हेतु संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/पशुपालन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण (Supervision) में संबद्ध किया जाएगा।

(x) व्यवहारिक क्षेत्र प्रशिक्षण (Field Training) हेतु प्रशिक्षणार्थी को किसी भी तरह का **मानदेय देय नही होगा** तथा वे भविष्य में **किसी भी तरह के सरकारी सेवा के दावेदार नहीं होगें।**

(xi) व्यवहारिक क्षेत्र प्रशिक्षण (Field Training) हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित युवक/युवतियों की सूची संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी और जिला पशुपालन पदाधिकारी उन्हें पशुचिकित्सालय से संबद्ध करने का आदेश निर्गत करेंगे। पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्य दिवस में पशुचिकित्सालय में उनकी उपस्थिति एवं उनके प्रशिक्षण कोर्स के अनुरूप व्यवहारिक कार्य कराने के साथ प्रशिक्षण देंगे।

(5) <u>प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को राशि का भुगतान –</u>

(i) बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल (Portal) पर प्रशिक्षण विषय के अनुसार (Course wise) प्रशिक्षण अवधि एवं प्रति घंटा/ प्रशिक्षणार्थी के अनुरूप बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुरूप राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को निम्न तालिका के अनुरूप राशि का भुगतान किया जाएगा।

कार्यक्षेत्र विशिष्ट कौशल (Domain specific skilling)	**ब्रिज कोर्स के साथ पूर्व सीखने की मान्यता (Recognition of prior learning with Bridge course)**
(1) **प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत** – एक तीहाई प्रशिक्षण पूर्ण होने अथवा एक माह की अवधि पूर्ण होने की स्थिति में प्रशिक्षार्थियों के 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर।	(1) **प्रशिक्षण शुल्क का 80 प्रतिशत** प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के पश्चात।
(2) **प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत-** प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन के पश्चात् कुल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों हेतु (पूर्व में भुगतायी गई राशि के समायोजन के उपरान्त)।	(2) **प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत** उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाणपत्र वितरण समारोह के पश्चात।
(3) **प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत** - कुल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के 50 प्रतिशत के नियोजन/स्वरोजगार के पश्चात।	(3) **प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत** कुल निर्धारित लक्ष्य के 80 प्रतिशत उपलब्धि के पश्चात।
4) **प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत** – नियोजित/स्वरोजगार प्रशिक्षणार्थियों के 12 माह की अवधि तक आंकलन (tracking) के पश्चात।	

(ii) मुल्यांकन एवं प्रमाणन एजेन्सी (Assessment and certification agency) को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत समय–समय पर निर्धारित प्रति प्रशिक्षणार्थी के दर एवं भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Council of India) के दिशानिर्देश (Guideline) के अनुरूप कुल राशि का भुगतान किया जाएगा।

(iii) प्रशिक्षण हेतु भोजन एवं आवास की व्यवस्था (यदि आवश्यक हो) पूर्ण रूप से प्रशिक्षणार्थी द्वारा की जाएगी। Domain Skilling के तहत प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त बिहार कौशल विकास मिशन के लागत मानदंड (Cost Norm) के आधार पर उनके नियोजन का कम से कम 50 प्रतिशत पशुपालन से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं, फार्मों, सहकारी दुग्ध संग्राहक केन्द्रों ,कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित फार्मों/कम्पनियों इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) कौशल विकास केन्द्र में आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी।

(v) संगत राज्यादेश की कंडिका–10 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के लिए स्वीकृत राशि बी0एल0डी0ए0, पटना के द्वारा संचालित पी0एल0 खाता में अंतरित किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

(vi) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, बिहार, पटना होगें।

(vii) निदेशक, पशुपालन, बिहार कौशल विकास मिशन में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के द्वारा पशुपालन प्रक्षेत्र से संबंधित विधाओं में/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिये जाने के उपरान्त मिशन द्वारा समय–समय पर निर्गत दर मानक के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों को राशि का भुगतान किया जाएगा।

(6) <u>योजना का अनुश्रवण/ अन्यान्य :–</u>

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। इस कार्य में आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र के पशुपालन पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिला अर्न्तगत कौशल विकास केन्द्रों का नियमित रूप से निरिक्षण कर भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की सांतवीं तारीख तक पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषतः कैम्प मोड के कौशल विकास केन्द्र में जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा।

(iii) योजना की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जाएगी।

(iv) इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक,पशुपालन, बिहार, पटना होंगे।

(v) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,बिहार, पटना का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(vi) वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एजेन्सीवार/विषयवार लक्ष्य निर्धारण अनुलग्नक (1) में संलग्न है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर)
संयुक्त निदेशक (पशु स्वा0)

ज्ञापांक :– 10 नि0 (प्रशि0) 05/2018 (खण्ड) 2035 (नि0)/पटना– 15 दिनांक– 19/6/2025

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/ परियोजना निदेशक, बी0 एल0 डी0 ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थानो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

19/6/25

संयुक्त निदेशक (पशु स्वा0)।

List of Training Organisation with their proposed skill Development Centre and Target alloted

Sl. No.	Name of Training Organisation	Training Type	Proposed Course	Proposed District	Proposed skill Development Centre	Deparmental Mode(Candidates)	BSDM Mode		Remarks
							RPL	Domain	
1	SCOPE Training and Consulting Pvt. Ltd., Patna	Departmental,RPL,Domain Skilling	Livestock Service Provider, Poultry Farming, Poultry Farm Worker, Goat/Sheep Farming, Goat/Sheep farm worker, Pig Farming	Patna	Patna	1000	5000	500	
				Saran	Saran				
				Nalanda	Nalanda				
				Supaul	Supaul				
				Madhepura	Madhepura				
				Gopalganj	Gopalganj				
				Arwal	Arwal				
				Araria	Araria				
				Purnia	Purnia				
2	Srikalash Edu Skills Pvt. Ltd., Visakhapatnam	Departmental,RPL,Domain Skilling	Livestock Service Provider, Poultry Farming, Poultry Farm Worker, Goat/Sheep Farming, Goat/Sheep farm worker, Pig Farming	Madhepura	Supaul, Madhepura, Saharsa, Purnia, Araria, Kishanganj, Madhubani	1500	6000	750	
				Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sheohar, Saran, E. champaran, W. Champaran, Gopalganj, Darbhanga, Sitamarhi, Siwan				
				Aurangabad/Rohtas	Aurangabad, Rohtas, Kaimur, Buxar				
				Patna	Nalanda, Shekhpura, Gaya, Nawada, Jehanabad, Arwal, Patna				
				Munger	Banka, Begusarai, Bhagalpur, Jamui, Munger, Katihar, Khagaria, Lakhisarai				
3	The Eagle View Training Centre, Patna	Departmental	Poultry Farming, Goat/Sheep Farming, Pig Farming	Patna	Patna	1360	0	0	
				Nalanda	Biharsarif				

4	Dreamline Technologies Pvt. Ltd., Patna	Departmental,RPL, Daomain Skilling	Livestock Service Provider, Poultry Farming, Poultry Farm Worker, Goat/Sheep Farming, Goat/Sheep farm worker, Pig Farming	Patna	Patna	400	500	250	
					Bihta				
5	Hotel Jiya Grand, Patna	Departmental,RPL	Livestock Service Provider, Poultry Farming, Poultry Farm Worker, Goat/Sheep Farming, Goat/Sheep farm worker, Pig Farming	Patna	Patna	400	500	0	
				Sitamarhi	Sitamarhi				
6	Janhit Sanskritik Kala Kendra,Patna	Departmental,RPL,Domain Skilling	Livestock Service Provider, Poultry Farming, Poultry Farm Worker, Goat/Sheep Farming, Goat/Sheep farm worker, Pig Farming	Arwal	Arwal	500	3000	500	
				Aurangabad	Aurangabad				
				Munger	Munger				
				Rohtas	Rohtas				
				Gaya	Gaya				
				Siwan	Siwan				
Total						**5160**	**15000**	**2000**	

19/6/25

Join Director (A.H.),
Animal Husbandry Directorate,
Bihar, Patna.